

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ए-82आर/94)/अलेसे-11/606

दिनांक :- 01-8-22

आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर के आदेश क्रमांक 362-67 दिनांक 31.01.2022 के द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को मध्याह्न पश्चात् निदेशालय के लिये कार्यमुक्त किये जाने के कारण श्री गुप्ता ने निदेशालय में दिनांक 07.03.2022 को आदेशों की प्रतीक्षा में (दिनांक 01.02.2022 को चार्ज प्रदान करते हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर में ही ड्यूटी पर होना बताकर तथा दिनांक 02.02.2022 से 04.03.2022 तक का चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर रूपांतरित अवकाश चाहने एवं 05.03.2022 से 06.03.2022 का राजपत्रित अवकाश होने से) उपस्थिति प्रस्तुत की। निदेशालय के आदेश क्रमांक 1281 दिनांक 08.03.2022 (आदेश संख्या 88/2021-22) द्वारा इनका पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, भरतपुर में किया गया। श्री अशोक कुमार गुप्ता के दिनांक 07.03.2022 से 08.03.2022 तक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में रहने के कारण निम्नानुसार कॉलम संख्या 2 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(11) के अंतर्गत नियमित करते हुए एवं कॉलम संख्या 4 में अंकित अवधि का चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर रूपांतरित अवकाश भी स्वीकृति कर दिनांक 02.02.2022 से 08.03.2022 तक उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, भरतपुर से वेतन आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (दिनों की संख्या)	राजकीय (दिनों की संख्या)	अवकाश	चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर रूपांतरित अवकाश की अवधि (दिनों की संख्या)	अर्द्धवेतन अवकाश डेबिट करने की संख्या (रूपांतरित अवकाश के कारण)
1	2	3	4	5	
1.	07.03.22 से 08.03.22, (2) (कुल दिवस 2)	05.03.22 एवं 06.03.22 (2) (कुल दिवस 2)	02.02.22 से 08.02.22, (7) 09.02.22 से 15.02.22, (7) 16.02.22 से 22.02.22, (7) 23.02.22 से 04.03.22, (10) (कुल दिवस 31)	62	

उक्त कॉलम संख्या 4 एवं 5 में अंकित रूपांतरित अवकाश अवधि एवं अर्द्धवेतन अवकाश का इन्द्राज सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से कराने के पश्चात् ही भुगतान किया जावे।
दिनांक 01.02.2022 के वेतन भुगतान का निर्णय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर से टिप्पणी प्राप्त होने के पश्चात् पृथक से किया जायेगा।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-355/94)/अलेसे-11/606

दिनांक :- 01-8-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर।
2. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, भरतपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री अशोक कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, भरतपुर।



(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)